



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 2107/2005

रघुबर सिंह महाराणा

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

द न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एल. जायसवाल, शार्वे सिंह

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अमित सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- श्री शर्वे सिंह, अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अमित सिंह, प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2- क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करने वाले दावेदार के कहने पर दाखिल यह अपील, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा एम.ए.सी. संख्या 141 सन् 2002 में पारित दिनांक 5.5.2005 के निर्णय एवं अधिनिर्णय को चुनौती देती है, जिसके द्वारा 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित रु. 2,67,000/- की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनिर्णीत की गई थी।

3- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दिनांक 28.3.2002 को लगभग रात्रि 9:00 बजे हुई दुर्घटना के कारण 50% स्थायी दिव्यांगता हुई, जब उसकी मोटरसाइकिल को पंजीकरण संख्या डी.एल. 4 सी.ई. 5742 वाली मारुति कार ने टक्कर मार दी। उसकी 50% की सीमा तक दिव्यांगता पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. बी.के. पट्टा द्वारा विधिवत सिद्ध की गई थी। अपीलार्थी ने दावा किया कि दुर्घटना के समय वह रु. 7,000/- प्रतिमाह कमा रहा था। तथापि, विद्वान न्यायाधिकरण ने आय के संबंध में उसके दावे को खारिज कर दिया और उसकी



मासिक आय रु. 3,000/- निर्धारित की। यद्यपि विद्वान न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी को 50% दिव्यांगता हुई थी, तथापि उसने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसकी वार्षिक आय का एक-तिहाई घटाकर क्षतिपूर्ति की गणना करने में त्रुटि की।

4- उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा चिकित्सा व्ययों के लिए कोई राशि अधिनिर्णीत नहीं की गई, यद्यपि अपीलार्थी ने सिद्ध किया कि वह उपचाराधीन रहा और दिनांक 28.3.2002 से 22.4.2002 तक अस्पताल में भर्ती रहा। गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत देय राशियां, जिन्हें घायल दावेदार के प्रकरण में अधिनिर्णीत किया जाना आवश्यक है, भी विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत नहीं की गईं। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय अपर्याप्त है और इसमें पुनः संशोधन तथा पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

5- प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलार्थी अपने द्वारा हुई कार्यात्मक दिव्यांगता को सिद्ध करने में असमर्थ रहा, तथापि विद्वान न्यायाधिकरण ने बिना किसी औचित्य के उसकी दिव्यांगता 50% की सीमा तक स्वीकार कर ली। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय पर्याप्त है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और दिनांक 5.5.2005 के आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की वार्षिक आय रु. 36,000/- निर्धारित करने के पश्चात व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसका एक-तिहाई घटा दिया, जो घायल दावेदार के प्रकरण में संधारणीय नहीं है। विद्वान न्यायाधिकरण ने आय की हानि के लिए रु. 1,56,000/- की राशि अधिनिर्णीत की, इसके अतिरिक्त पीड़ा और कष्ट के लिए रु. 5,000/- अधिनिर्णीत किए। जिस अवधि के दौरान अपीलार्थी अस्पताल में भर्ती रहा, उस पर भी विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया। अतः यह न्यायालय इस मत का है कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करके तथा संबंधित गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत उचित राशियां अधिनिर्णीत करके क्षतिपूर्ति का पुनर्गणना तथा आगे वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

7- अतः, अपीलार्थी को देय कुल क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की जाती है:

i. मासिक आय : रु. 3,000/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. वार्षिक आय : $(3,000 \times 12) = \text{रु. } 36,000/-$

iii. दिव्यांगता = 50%

iv. लागू गुणक : 13

v. आय अर्जन क्षमता की हानि : $(18,000 \times 13) = \text{रु. } 2,34,000/-$

vi. पीड़ा और कष्ट : रु. 5,000/-

vii. सुविधाओं की हानि, परिचारक प्रभार + विशेष आहार + परिवहन = रु. 50,000/-

viii. कुल क्षतिपूर्ति : रु. 2,34,000/- + रु. 5,000/- + रु. 50,000/- = रु. 3,34,000/-

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, अपीलार्थी/दावेदार रु. 3,34,000/- की कुल क्षतिपूर्ति तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 220-ए के अनुसार 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का हकदार है, जिसकी प्रतिपूर्ति आक्षेपित वाहन के बीमाकर्ता द्वारा की जाएगी।

9- तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

10- यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि विद्वान न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसरण में बीमा कंपनी द्वारा कोई राशि पहले ही भुगतान की जा चुकी है, तो उसे इस निर्णय के अधीन देय कुल राशि में समायोजित किया जाएगा। बीमा कंपनी इस आदेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि जमा करेगी; तत्पश्चात विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उक्त राशि जमा किए जाने के चार सप्ताह के भीतर दावेदार के उसके संबंधित बचत बैंक खातों में नकद रूप में जारी की जाएगी।

(i) दावेदारों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे आज से चार सप्ताह के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण को आर.टी.जी.एस. सुविधा वाले अपने बचत बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराएं।

(ii) उक्त राशि को न्यायिक आदेश पारित करके दावेदारों के बचत बैंक खातों में अंतरित किया जाएगा, ताकि आवश्यक औपचारिकताएं, यदि कोई हों, पूरी करने के पश्चात अंतर की राशि न्यायाधिकरण के खाते से सीधे दावेदारों के खातों में अंतरित किया जा सके।

25 अगस्त, 2026

उज्ज्वल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।